

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांक प.8(ग)(3)नियम/डीएलबी/22/ 8228
अधिसूचना

जयपुर, दिनांक: 28-4-22

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्या 18) की धारा 107 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा इस विभाग की पूर्व में जारी समसंख्यक अधिसूचना क्रमांक प.8(ग)(03)/नियम/डीएलबी/2010/8884 दिनांक 24.08.2016 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:-

“बिन्दु संख्या 2 में “300 वर्गगज” विलोपित किया जाता है तथा औद्योगिक परिसर जो 500 वर्गगज से कम क्षेत्रफल में संचालित है को कर दायरे से मुक्त किये जाते है।”

राज्यपाल की आज्ञा से,

(हृदेश कुमार शर्मा)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक प.8(ग)(3)नियम/डीएलबी/22/8229-8729

दिनांक: 28-4-22

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
4. जिला कलक्टर, समस्त राजस्थान।
5. महापौर/सभापति/अध्यक्ष, नगर निगम/परिषद/पालिकायें समस्त राजस्थान।
6. आयुक्त/उपायुत/अधिशायी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिकायें समस्त राजस्थान।
7. महालेखाकार, राजस्थान जयपुर।
8. निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, राज. जयपुर।
9. समस्त अधिकारी निदेशालय।
10. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग समस्त राजस्थान।
11. प्रोग्रामर, निदेशालय को नेट पर उपलब्ध कराने हेतु।
12. अधीक्षक, केंद्रीय लेखन एवं मुद्रणालय, राज. जयपुर को आगामी राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक में उपरोक्त अधिसूचना प्रकाशित करने हेतु प्रेषित है।
13. सुरक्षित पत्रावली।

(संजय माथुर)
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी